

बिहार सरकार

श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग

बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति

आदेश

बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011 के अंतर्गत श्रम अधीक्षक, अरवल के ज्ञापांक (कॉलम 4 में वर्णित) से 01 श्रमिक के स्वाभाविक मृत्यु के उपरांत आश्रितों को रु० 30,000/- (तीस हजार रुपए) तथा बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा (संशोधन) योजना, 2024 के अंतर्गत 04 श्रमिकों के स्वाभाविक मृत्यु के उपरांत उनके आश्रितों को रु० 50,000/- (पचास हजार रुपए) प्रति कामगार की दर से भुगतान हेतु रु० 2,00,000/- (दो लाख रुपए) अर्थात् कुल राशि रु० 2,30,000/- (दो लाख तीस हजार रुपए मात्र) अनुदान की स्वीकृतोपरांत राशि विमुक्ति हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। प्रस्ताव के आलोक में मृतक/दावेदार कामगारों के आश्रितों को स्वीकृत राशि की विमुक्ति का आदेश दिया जाता है। मृतक/दावेदार कामगारों/शिल्पकारों का नाम, उनके आश्रितों का नाम एवं पता तथा बैंक लेखा संख्या निम्नांकित है:-

क्र.सं.	मृतक/दावेदार का नाम, उम्र, पिता/पति का नाम, कोटि	आश्रित का नाम (संबंध)/ दावेदार/ आधार संख्या	श्रम अधीक्षक का पत्रांक/ दिनांक	पता/मोबाईल नं०	आश्रित का बैंक खाता संख्या	बैंक एवं शाखा का नाम, आई.एफ.एस. सी	स्वीकृत अनुदान की राशि	मृत्यु/ निःशक्तता का बीमा, कार्य की प्रकृति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	स्व० राजनाथ प्रसाद, 59, रामवचन साव, पिछड़ा जाति	मंजू देवी, (पत्नी)	285, 30.04. 2026	ग्रा०+पो०-माली, थाना-वंशी, प्रखण्ड-सोनभद्र वंशी सूर्यपुर, जिला-अरवल 9939418333	2390000 1000366 64	PNB, PUNB0 239000	50,000/- (पचास हजार रुपए)	स्वाभाविक मृत्यु, बर्तन बेचने का कार्य
02	स्व० सुनील कुमार, 32, राजेश्वर यादव, पिछड़ा वर्ग	निरा कुमारी, (पत्नी)	287, 30.04. 2026	ग्रा०-रेपुरा, पो०-खटांगी, थाना-मानिकपुर, प्रखण्ड-सोनभद्र वंशी सूर्यपुर, जिला-अरवल 7667608930	2388000 1000990 84	PNB, PUNB0 238800	50,000/- (पचास हजार रुपए)	स्वाभाविक मृत्यु, कृषक मजदूर
03	स्व० रामानंद यादव, 52, स्व० देवनाथ यादव, पिछड़ा वर्ग	राजमहली देवी, (पत्नी)	288, 30.04. 2026	ग्रा०-धरमपुर, पो०-पोंदिल, थाना-कुर्था प्रखण्ड-सोनभद्र वंशी सूर्यपुर, जिला-अरवल 7739036383	2388001 7000435 09	PNB, PUNB0 238800	50,000/- (पचास हजार रुपए)	स्वाभाविक मृत्यु, कृषक मजदूर
04	स्व० श्रीकांती देवी, 61, महेश प्रसाद सिंह, पिछड़ा जाति	महेश प्रसाद सिंह, (पति)	290, 30.04. 2026	ग्रा०+पो०-बलौरा, थाना-वंशी, प्रखण्ड-सोनभद्र वंशी सूर्यपुर, जिला-अरवल 8002020095	2390001 7000297 35	PNB, PUNB0 239000	50,000/- (पचास हजार रुपए)	स्वाभाविक मृत्यु, कृषि मजदूर
05	स्व० सुन्दर राम, 41, मुन्नी राम, अत्यंत पिछड़ा वर्ग	रीना देवी, (पत्नी)	291, 30.04. 2026	ग्रा०-कुतुबपुर, पो०-पोंदिल, थाना-कुर्था, प्रखण्ड-सोनभद्र वंशी सूर्यपुर, जिला-अरवल 9284649380	6497000 1000756 72	PNB, PUNB0 649700	30,000/- (तीस हजार रुपए)	स्वाभाविक मृत्यु, कृषक मजदूर

कुल :- रु० 2,30,000/-

(दो लाख तीस हजार रुपए मात्र)

2. उक्त राशि भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना में पोषित बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति के बचत खाता संख्या 37062727316 से "बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011" के सहायक अनुदान इकाई से विकलनीय होगी।

3. उपरोक्त स्वीकृत राशि (कॉलम नं० 8) का भुगतान RTGS के माध्यम से सीधे कॉलम नं० 3 में अंकित आश्रित के बैंक खाते कॉलम 6 में किया जाएगा।

4. प्रस्ताव पर अपर मुख्य सचिव-सह-सभापति, कार्यकारिणी समिति, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(रोहित कुमार),

मुख्य वित्त पदाधिकारी

ह०/-

(राजेश भारती),

कार्यकारी निदेशक

ज्ञाप संख्या :- श्रम क०सं०-45/2026-1155

पटना, दिनांक :- 27/08/2026

प्रतिलिपि :- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना, उपरोक्त आदेश के कॉलम 3 में अंकित आश्रित को उनके नाम के सामने अंकित खाता संख्या में कॉलम नं० 8 में स्वीकृत राशि RTGS के माध्यम से अन्तरित करना सुनिश्चित करेंगे। यदि किसी कारण राशि का अंतरण नहीं हो पाता है तो इसकी सूचना अविलंब मुख्य वित्त पदाधिकारी, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, नियोजन भवन को देंगे/लेखा शाखा, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, बिहार, पटना, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग को सूचनार्थ प्रेषित। निदेशित है कि उक्त कुल स्वीकृत राशि **रु० 2,30,000/- (दो लाख तीस हजार रुपए मात्र)** बैंक से अंतरण के पश्चात लेखा संधारण करना सुनिश्चित करेंगे/उप श्रमायुक्त, गयाजी/श्रम अधीक्षक, अरवल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/आई०टी० मैनेजर, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग (विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/माननीय मंत्री के आप्त सचिव, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

24/08/26
(रोहित कुमार),

मुख्य वित्त पदाधिकारी

Rajesh Bharti.

(राजेश भारती),

कार्यकारी निदेशक